

बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर मालामाल होंगे किसान

अनिल श्रीवास्तव

लखनऊ। प्रदेश में किसान अब बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर मालामाल हो सकेंगे। यह केंद्र सरकार की कुसुम योजना से संभव होगा। योजना के तहत प्रदेश के चार विद्युत वितरण निगमों में इसके लिए 24 उपकेंद्रों का चयन भी हो गया है।

केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। योनी सरकार भी इस मुहिम में जुटी है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के बाद 106 मेगावाट क्षमता की साल्ट परियोजनाओं की स्थापना के लिए टेंडर भी हो चुकी है।

योजना के तहत किसान 0.5 से लेकर दो मेगावाट तक सौर

पावर परियोजनाओं की स्थापना कर सकेंगे। पर इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी भूमि विद्युत उपकेंद्र के पांच किमी के दायरे में होगी।

किसान खुद अपनी जमीन अथवा विकासकर्ता को लीज पर देकर सौर पावर प्लांट लगा सकते हैं। पर प्लांट के लिए जमीन बंजर या अनुपयोगी हो।

पावर कॉर्पोरेशन इस्तेमाल के बाद बची बिजली किसानों से 3.70 रुपये प्रति यूनिट के दर से खरीदेगी। इसके लिए 25 साल का अनुबंध किया जाएगा। ऊर्जा विभाग का यह भी प्रस्ताव है कि अगर किसान किसी विकासकर्ता को जमीन देता है तो विकासकर्ता को मिलने वाले प्रति यूनिट टैरिफ में से किसान को 5 से 10 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

कुसुम योजना में पश्चिमांचल के चार जिले शामिल

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में कुसुम योजना के तहत सूर्यनगर के उपकेंद्रों फतेहपुर और अमोढ़ा पौर का चयन हुआ है। यहाँ पर दो मेगावाट की 30 सौर परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी। इसी तरह मुरदाबाद के अफजलगढ़, हजल नगर गढ़ी और भीकनपुर उप केंद्र का चयन हुआ है। अफजलगढ़ में दो मेगावाट की 10, हजलनगर गढ़ी में दो मेगावाट की 10 और भीकनपुर में एक मेगावाट की 10 व दो मेगावाट की पांच परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।



दक्षिणांचल के तीन जिलों में लगेगी 81 परियोजनाएँ

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में आगरा के फतेहाबाद में दो मेगावाट की 10 और कानौल में दो मेगावाट की 8 परियोजनाएँ स्थापित होंगी। महोबा के महोबाकंड उप केंद्र में दो मेगावाट की 5 और बाँदा के बाँदा उपकेंद्र में एक मेगावाट की 8 व दो मेगावाट की पांच परियोजनाएँ लगाई जाएंगी। इसी तरह पेलनाई उप केंद्र में एक मेगावाट की पांच परियोजनाएँ लगेगी। झंसी जिले के गुरुसराय उप केंद्र में दो मेगावाट की 10 और बामौर उपकेंद्र में दो मेगावाट की पांच और एक मेगावाट की पांच परियोजनाएँ स्थापित होंगी। उर्दू के निगमदपुर उप केंद्र में एक मेगावाट की पांच व दो मेगावाट की पांच परियोजनाएँ और नसीगंज उप केंद्र में एक मेगावाट की 10 परियोजनाएँ स्थापित होंगी।

विद्युत उपकेंद्र के 5 किमी के दायरे में होनी चाहिए जमीन

■ इस्तेमाल के बाद बची बिजली खरीदेगा पावर कॉर्पोरेशन

पूर्वांचल के दो और मध्यांचल व दक्षिणांचल के 3-3 जिले

■ पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत चारगमनी जिले के चकिगा उपकेंद्र में दो मेगावाट की पांच व नवदा उप केंद्र में एक मेगावाट की 10 और गोरखपुर के गवाई ब्रोल उपकेंद्र में दो मेगावाट की पांच परियोजनाएँ स्थापित होंगी।

■ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के तीन जिलों का चयन हुआ है। इसमें हरदोई जिले के सरला उप केंद्र में एक मेगावाट की पांच, बदायूं के इस्लामनगर में दो मेगावाट की पांच और बाराबंकी जिले के कोटवा धाम में दो मेगावाट की पांच परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।